



UPSI120001712023

न्यायालय सिविल जज (जू० डि०)/जे०एम०, बिसवाँ-सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी-(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP3421

लाल मोहम्मद बनाम साबिर अली आदि।

दीवानी वाद संख्या-28/2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पक्षकार अनुपस्थित। पक्षकारों को उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। पक्षकार विगत कई तिथियों से अनुपस्थित आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार उक्त वाद के प्रति उदासीन हैं। ऐसी स्थिति में वाद को अनन्तकाल तक लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है। अतः वाद, पक्षकारों की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद, पक्षकारों की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनांक-06.03.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
सिविल जज (जू० डि०)
बिसवाँ सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/-